भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2034

बुधवार, 11 मार्च, 2020/21 फाल्गुन, 1941 (शक)

युवाओं का कौशल विकास

2034. श्री संजय सिंह:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यूनीसेफ की रिपोर्ट की जानकारी है जिसके अनुसार भारत के पास सबसे अधिक श्रम बल होने के बावजूद, अधिकांश युवाओं में नौकरियों में नियोजित होने के लिए आवश्यक कौशल की कमी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा युवाओं को सफलता और सुरक्षित नौकरियां प्रदान करने हेतु कौशल विकास के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) और (ख): सरकार को इस संबंध में यूनीसेफ से कोई औपचारिक पत्र प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ग): सरकार देश में लघु अवधि कौशल विकास प्रशिक्षण लघु अवधि प्रशिक्षण (एसटीटी) और पूर्व ज्ञानार्जन मान्यता (आरपीएल) के लिए मांग संचालित स्कीम प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) 2016-20 का क्रियान्वयन कर रही है। एसटीटी के अंतर्गत अनुप्रमाणित अभ्यर्थियों को प्लेसमेंट अवसर दिए जा रहे हैं।

पीएमकेवीवाई 2016-20 के अंतर्गत रोजगार पर फोकस को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा दिया गया है और अभ्यर्थियों को विभिन्न क्षेत्रों और उद्योगों में नौकरी दी गई है। प्रशिक्षण केन्द्रों(टीसी)/ प्रशिक्षण प्रदाताओं (टीपी) से यह अपेक्षित है कि उनके पास उद्योग से जुड़ने और अभ्यर्थियों के प्लेसमेंट के लिए अलग से मेंटरशिप-सह-प्लेसमेंट प्रकोष्ठ होने चाहिए। प्रशिक्षण प्रदाता इस बात के लिए अधिदेशित हैं कि वे क्षेत्र कौशल परिषदों (एसएससी) के सहयोग से हर 6 महीने में प्लेसमेंट/रोजगार मेला आयोजित करें और इसमें स्थानीय उद्योगों की प्रतिभागिता सुनिश्चित करें। इस स्कीम में प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की प्लेसमेंट को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रशिक्षण केन्द्रों/प्रशिक्षण प्रदाताओं को प्रोत्साहित किया जाता है। प्रशिक्षण केन्द्रों को प्रशिक्षण भुगतान के अंतिम 20 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति अभ्यर्थी के प्लेसमेंट (वेतन नियोजन या स्व-नियोजन) से संबद्ध है।

******